

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-45/2019(जीसीएमएस नम्बर 2019/00164)

01. जयसिंह पुत्र रामसहाय, जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोली, तहसील सिकराय जिला दौसा।

—अपीलान्त

बनाम

01. आम जनता मोरोली तहसील सिकराय जिला दौसा जरिये  
02. रामस्वरूप पुत्र जयनारायण,  
03. अशोक कुमार पुत्र रामकरण,  
04. रामकरण पुत्र रेवड,  
05. मूलचन्द पुत्र रामकुमार,  
06. रामेश्वर पुत्र रामभजन,  
07. बाबूलाल पुत्र कजोड,  
08. रामखिलाडी पुत्र गंगाधर,  
09. मानसिंह पुत्र श्रवण, समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोली तहसील सिकराय जिला दौसा।  
10. अध्यक्ष, आवंटन सलाहकार समिति तहसील सिकराय जिला दौसा।  
11. तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थिति:-

1. श्री हेमराज गुर्जर एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से  
2. श्री सी0एल0 मीना एडवोकेट रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 4, 6 से 9 की ओर से

निर्णय

दिनांक 31.01.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2019 एवं जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.1992 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्त जयसिंह पुत्र रामसहाय निवासी ग्राम मोरोली तहसील सिकराय हाल तहसील बहरावण्डा को साबिक भूमि खसरा नम्बर 187/1 रकबा 5 बीघा का आवंटन दिनांक 24.07.1987 को आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर आवंटन किया गया था, उक्त आवंटन के पूर्व से ही आवंटी का भूमि पर कब्जा काश्त आज तक चला आ रहा था। उन्होंने आगे कथन किया है कि आवंटन के उपरान्त अपीलार्थी के हक में नामान्तरकरण दिनांक 30.05.1990 गैर खातेदारी का अंकित हुआ। इसके उपरान्त खातेदारी दर्ज अंकित राजस्व कर्मचारियों-अधिकारियों द्वारा बाद जाँच कब्जा, वृक्ष, पौधों की खातेदारी अधिकार प्रदान किये एवं आवंटित भूमि का अलग से रकबा कायम करते हुए तरमीम की गई। हर कदर हल्का पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा बाद जांच उक्त सभी नामान्तरकरण तरमीम मौका रिपोर्ट आदि कब्जा जांच के

P.T.O.

उपरान्त ही गैर खातेदारी खातेदारी प्रदत्त की गई। अपीलान्त को पूर्व में निर्णय दिनांक 03.03.1992 की किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी, ना ही राजस्व कर्मचारियों द्वारा जानकारी दी गई। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथाकथित लोगों द्वारा आदेश 1 नियम-8 की पालना किये बिना कुछ लोगों द्वारा आम जनता मोरोली के नाम से आवंटन आज्ञा दिनांक 24.07.1987 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 14(4) आवंटन रूल्स का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जबकि वे व्यक्ति किसी भी तरह व्यथित पक्षकार भी नहीं है। मात्र कुछ भू-माफिया लोग सम्पूर्ण आम जनता का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकते हैं और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी या तहसीलदार की रिपोर्ट मंगवाये बिना ही मनमानी पूर्ण बेजा तौर से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपीलाधीन हर दो आदेश दिनांक 04.09.2019 एवं तथाकथित आदेश दिनांक 03.03.1992 खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्त द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा तहसीलदार लैण्ड रिकार्ड अधिकारी बहरावण्डा से अपीलाधीन भूमि के बारे में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई थी जिसमें 100-150 छोटे-बड़े वृक्ष फलदार, पौधे, झाड़ियाँ, नींबू, आम, पपीता के पौधे, नीम, बबूल के वृक्ष अवस्थित होना स्पष्ट प्रमाणित है कि अपीलान्त द्वारा स्थापित किये गये हैं जिससे पूर्णतया प्रमाणित है कि अपीलान्त द्वारा आवंटन की शर्तों की पूर्णतया पालना की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलान्त आवंटन के समय से ही लता, पता, वृक्ष, पैड़-पौधे, झाड़िया उगाकर भूमि का उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा अपीलान्त के हक में करीब 35-36 वर्ष पूर्व ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं कानूनन खातेदारी प्राप्ति के बाद आवंटन निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को बिना सुने साक्ष्य, सबूत का अवसर दिये बिना वैगपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2019 एवं आदेश दिनांक 03.03.1992 को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें। उन्होने अपनी अपील के समर्थन में आरबीजे 2009 पेज 112, आरबीजे 2009 पेज नम्बर 202, आरबीजे 2005 पेज नम्बर 113, आरबीजे 2011 पेज नम्बर 418, आरबीजे 2007 पेज 687, आरबीजे 2016 पेज नम्बर 102 रूलिंग पेश की।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने कथन किया है कि अपीलार्थी को भूमि विवादग्रस्त का आवंटन निजी वन विकास हेतु पेड़, पौधे घास इत्यादि लगाने के लिये आवंटन किया गया था जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कोई भी पेड़ पौधे घास इत्यादि कुछ भी नहीं लगाये गये। उनके द्वारा किसी भी प्रकार से भूमि पर वन विकास नहीं किया गया और भूमि को अपनी खातेदारी में अंकित करा लिया जो कानूनन नहीं किया गया जा सकता है। जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2047 से होती है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर ही अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपीलार्थी नाम किये गये आवंटन अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.1992 द्वारा खारिज किया

गया है जो विधि सम्मत है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.1992 के विरुद्ध लगभग 27 वर्ष पश्चात् अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है तथा उक्त विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण नहीं होने से अपील अपीलान्त मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अतः अपीलान्त का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व अपील अपीलार्थी खारिज फरामाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी को दिनांक 24.07.1987 को 5 बीघा भूमि का निजी वन विकास हेतु आवंटन किया गया था किन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि में वृक्षारोपण व झाड़िया एवं घास नहीं लगाये जाने पर लैण्ड होल्डर तहसीलदार सिकराय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपीलार्थी को किया गया आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा तहसीलदार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में खसरा गिरदावर सम्वत् 2047 की सत्य प्रतिलिपि भी पेश की गई जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा आवंटित भूमि में वृक्षारोपण या झाड़िया व घास नहीं लगाया जाना स्पष्ट होने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.1992 पारित किया गया है। सरकार की नितियों के अनुसार वन विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भूमिहिन किसानों को वन विकास हेतु भूमि आवंटित की जाती है जबकि हस्तगत प्रकरण में आवंटी द्वारा निजी वन विकास हेतु आवंटित भूमि पर वृक्षारोपण यथा झाड़िया, घास इत्यादि ना लगाकर आवंटन उद्देश्य को ही समाप्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.1992 एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2019 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलान्त द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.1992 के विरुद्ध लगभग 27 वर्ष पश्चात् असाधारण विलम्ब से न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 21.11.2019 को पेश की गई और अपीलान्त द्वारा उक्त विलम्ब का कोई का कोई संतोषजनक कारण भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये गये हैं। साथ ही पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा आवंटन निरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार को दिये गये थे किन्तु अपीलार्थी की ओर से अपनी अपील के संलग्न की गई न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 4/20 उनवान समयसिंह बनाम जयसिंह, अपीलार्थीगण द्वारा तहसीलदार सिकराय को पेश प्रार्थना पत्र बाबत गैर खातेदारी से खातेदारी करवाने दिनांक 17.01.1997 एवं उस पर अंकित पटवारी गिरदावर की रिपोर्ट एवं तहसीलदार की टिप्पणी जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 की की इत्यादि के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उपखण्ड अधिकारी सिकराय एवं तहसीलदार सिकराय द्वारा जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 03.03.1992 की पालना आज दिनांक तक नहीं की गई जो अत्यन्त खेदजनक है।

(4)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील लगभग 27 वर्ष पश्चात् असाधारण मियाद बाहर होने से अपील भी खारिज की जाती है। प्रकरण जिला कलक्टर दौसा के ध्यानार्थ निर्णय की प्रति जिला कलक्टर दौसा, उपखण्ड अधिकारी सिकराय, तहसीलदार सिकराय को भी अलग से भिजवायी।

(असलम शेर खान)

अति-संभागीय आयुक्त,

जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/1/24

अति-संभागीय आयुक्त,

जयपुर।